रेफरेन्स / 03 / 2023

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूलचन्द उम्र 72 वर्ष जाति जाट निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—उदयभान सिंह पुत्र रनधीर सिंह । जातियान जाट निवासीयान सेवर तहसील
2--रामकुमार पुत्र रनधीर सिह । व जिला भरतपुर
3—बलवीर सिंह पुत्र रनधीर सिंह ।
4—कुंवरपाल पुत्र रामस्वरुप जाति कोली निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर
5—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.......अप्रार्थी

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,

1—श्री गोबिन्द सिह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री प्रमोद कुमार उपमन ,अभिभाषक अप्रार्थी0 1,2,3
3—श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4

निर्णय

दिनांक 20.09.2024

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत इस आश्य का पेश किया गया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1208 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा एवं ख.न. 1209 रकवा 12 विस्वा किता 2 कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर में गैर मौरुसी वर्ष 2 जमाबन्दी सम्वत् 2009 लगायत 2013 में दर्ज था। यही इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2013 –2016 में नदूराम के नाम गैर मौरुसी साल 6 इन्द्राज है, एवं जमाबन्दी सम्वत 2017 में नदूराम को गैर खातेदार साल 10 अंकित कर दिया यही इन्द्राज सम्वत 2026 तक बदस्तूर रहे है एवं इसके बाद सम्वत् 2034 में आराजी खसरा नम्बर 1208 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा पर रनधीर सिंह अप्रार्थी संख्या 1 एवं बलवीर सिहं अप्रार्थी संख्या 3 को बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदार दर्ज कर दिया एवं शेष रकवा 1 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1209 रकवा 12 विस्वा पर नदूराम को गैर खातेदार कर दिया यही इन्द्राज सम्वत् 2041 तक राजस्व रिकार्ड में रहे हैं। नंदुराम का स्वर्गवास हो गया है, उसके एक पुत्र रामस्वरुप का भी स्वर्गवास हो गया है इसलिए रामस्वरुप के पुत्र कुंवरपाल को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

...............2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा रकवा कमी पूर्ती के लिये एक प्रार्थना पत्र धारा 136 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत एस.डी.ओ. भरतपुर के यहॉ पेश किया गया है, उक्त रकवा कमी पूर्ती में तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.7.2021 के आधार पर प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया तब जाकर इन तथ्यों की जानकारी हुई।

बन्दोवस्त विभाग द्वारा साविक आराजी खसरा नम्बर 1208, 1209 के नये खसरा नम्बर 2237 / 0.60 है0 एवं 2237 / 2285 / 0.01 है0 बनाये गये हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2237 / 0.60 है0 पर इन्द्राज अकेले रनधीर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट को खातेदार दर्ज कर दिया गया है। खसरा पत्रक सम्वत 2037 के खाना नं. 25 में नोट अंकित किया है कि "...मुताविक आदेश श्रीमान ए.आर.ओ. खसरा परिशोधन संख्या 68 के रनधीर सिंह खातेदार दर्ज किया गया जब कि बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार रनधीर सिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने का नहीं है। बन्दोवस्त विभाग के द्वारा हाल अराजी खसरा नम्बर 2237 रकवा 0.60 है0 वा अकेले रनधीर सिंह के नाम खातेदार दर्ज करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन के अनुसार 2237 / 0.40 पर उदयभान के नाम एवं 2237 / 2487 / 0.20 पर अप्रार्थी संख्या 2 रामकुमार के नाम खातेदारी के इन्द्राज हुए हैं जो आज वर्तमान में मौजूद हैं। जब कि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के नाम नहीं आ सकती एवं बन्दोवस्त विभाग को भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विना कोई अधिकार हासिल नहीं है कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी को किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के नाम कर दें धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उलंघन है। इस प्रकार बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुए है उन्हें प्रार्थी राजहित में निरस्त करा पाने का अधिकारी है। इसलिए अवैध एवं शून्य इन्द्राजों को निरस्त करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 2237 / 0.40 एवं 2237 / 2484 / 0.20 है0 बाके ग्रांम सेवर कला तहसील भरतपुर पर सिवायचक राज0 सरकार दर्ज किये किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई। अप्रार्थी0 की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खसरा नम्बर 1208 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा एवं ख.न. 1209 रकवा 12 विस्वा किता 2 कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2009 लगायत 2013 में गैर मौरुसी वर्ष 2 दर्ज था। यही इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2013 –2016 में नंदूराम के नाम गैर मौरुसी साल 6 इन्द्राज रहे हैं, एवं जमाबन्दी सम्वत 2017 में नदूराम को गैर खातेदार साल 10

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अंकित कर दिया यही इन्द्राज सम्वत 2026 तक बदस्तूर रहे है एवं इसके बाद सम्वत् 2034 में आराजी खसरा नम्बर 1208 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा पर रनधीर सिंह अप्रार्थी संख्या 1 एवं बलवीर सिहं अप्रार्थी संख्या 3 को बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदार दर्ज कर दिया एवं शेष रकवा 1 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1209 रकवा 12 विस्वा पर नदूराम को गैर खातेदार कर दिया यही इन्द्राज सम्वत् 2041 तक राजस्व रिकार्ड में रहे हैं। नंदुराम का स्वर्गवास हो गया है, उसके एक पुत्र रामस्वरुप का भी स्वर्गवास हो गया है इसलिए रामस्वरुप के पुत्र कुंवरपाल को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि खसरा पत्रक सम्वत 2037 के खाना नं. 25 में नोट अंकित किया है कि "...मुताविक आदेश श्रीमान ए.आर.ओ. खसरा परिशोधन संख्या 68 के रनधीर सिंह खातेदार दर्ज किया गया जब कि बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार रनधीर सिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने का नहीं है। बन्दोवस्त विभाग के द्वारा हाल अराजी खसरा नम्बर 2237 रकवा 0.60 है0 वो अकेले रनधीर सिंह के नाम खातेदार दर्ज करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन के अनुसार 2237 / 0.40 पर उदयभान के नाम एवं 2237 / 2487 / 0.20 पर अप्रार्थी संख्या 2 रामकुमार के नाम खातेदारी के इन्द्राज हुए हैं जो आज वर्तमान में मौजूद हैं। जब कि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के नाम नहीं आ सकती एवं बन्दोवस्त विभाग को भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना कोई अधिकार हासिल नहीं है कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी को किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के नाम कर दें धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उलंघन है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा रकवा कमी पूर्ती के लिये एक प्रार्थना पत्र धारा 136 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत एस.डी.ओ. भरतपुर के यहॉ पेश किया गया है, उक्त रकवा कमी पूर्ती में तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.7.2021 के आधार पर प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया तब जाकर इन तथ्यों की जानकारी हुई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि कि विवादित आराजी न तो कस्टोडियन की भूमि थी और ना ही नन्दू कोली को आंवटन हुई थी इसके अलावा कस्टोडियन जो भूमि थी केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार ने एक करोड की राशि जमा कर हस्तान्तरण करा लिये और उस पर सन् 1963 के आंवटन नियम बना दिये जब कि नन्दू कोली तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले गैर मौरुसी दर्ज था जो व्यक्ति राज0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले गैर मौरुसी दर्ज था उसको खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये उन्होने आरआरडी 1987 पे 202 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर की जो शक्तियां प्राप्त थी वो कई वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई इस बाबत अलग से राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन दिनांक 9.5.79 राजस्थान गजट में दिनांक 28.6.79 को प्रकाशित किया गया जिसमें तहसीलदार अलवर भरतपुर की मैनेजिंग आफीसर की पॉवर को सीज

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

किया हुआ है इसलिए अप्रार्थीगण को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा कोई आवंटन भी किया गया है तो वह अवैध इल्लीगल फर्जी विद्आउट ज्यूरीडिक्शन के होने से शुरु से ही शून्य व प्रभावहीन है और उसके आधार पर जो इन्द्राज किये है वो शून्य है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुए हैं उन्हें प्रार्थी राजहित में निरस्त करा पाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अवैध एवं शून्य इन्द्राजों को निरस्त करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 2237 / 0.40 एवं 2237 / 2484 / 0.20 है0 बाके ग्रांम सेवर कला तहसील भरतपुर पर सिवायचक राज0 सरकार दर्ज किये किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर.टी.2024(1) 437 (एच.सी), आर. आर.डी. 1990 पेज 460, आर.बी.जे. पेज 26 , आर.आर.टी. 2020(1) पेज 60, आर.बी. जे. 2003 पेज 2018, एवं आर.बी.जे. 2005 पेज 359 को उद्धरत करते हुये प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि नन्दूराम के नाम गैर मौरुसी साल 6 जमाबंदी सं. 2013 –2016 में नन्नदूराम के नाम गैर मौरुसी साल 6 का इन्द्राज होने बाबत अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 4 के बाबात नन्दूराम का कोई कब्जा आराजी खसरा नम्बर 1209 व 1209 पर कभी नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 4 के बाबा ने कभी काश्त नहीं की थी। विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी थी जो कि कीमतन आबंटित होती थी। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर भरतपुर से कीमत जमा कराये जाने हेतु नन्दूराम को नोटिस जारी किये गये थे, मगर नन्दूराम न उम आराजी की कीमत जमा नहीं कराई जा सकी, दिनांक 19.9.1980 को नन्दूराम कार्यालय तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर भरतपुर के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से हाजिर हुए और रकम जमा कराने से स्पष्ट मना कर दिया । रकम जमा करने से इन्कार करने के बाद नन्दूराम के हक में किये गये अस्थाई एलॉटमेन्ट के निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को कब्जा राज ले लिया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि इसके बाद उक्त आराजी रन्धीरसिंह निवासी सेवर द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के बाद रन्धीरसिंह को आंबटित कर दी गई। इस सम्बन्ध में दौराने बहस आबन्टन आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। सम्वत् 2037 में बंदोवस्त के दौरान साविक खसरानम्बर 1208 व 1209 से हाल खसरा नम्बर 2237 / 0.60 एवं 2237 / 2285 / 0.01 बनाये गये हैं। रनधीरसिंह द्वारा विवादित आराजी उक्त दोनों नम्बरान की परमानेन्ट कीतन आंबटन हो गया था इसलिए ए.एस.ओ. भरतपुर द्वारा परिशाधन पत्र भरकर स्वीकृत कर दिया गया जिसमें ए.एस.ओ. भरतपुर ने कोई गलती नहीं की है, और विवादित आराजी पर रन्धीरसिंह के नाम खातेदार इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये गये हैं।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थी को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। रन्धीरसिंह के हक मे विवादित आराजी के किये आबन्टन पर कोई राजहित निहित होता या प्रभावित होता तो भूमिघारी तहसीलदार इसके लिये सक्षम था। विवादित अराजी के आबंटन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है प्रार्थी रनधीर सिंह ने विवादित आराजी की नियमानुसार कीमत राजकोष में जमा कराई गई है और सक्षम अधिकारी जिला पुनर्वास अधिकारी एवं मैनेजिंग ओफिसर भरतपुर द्वारा अपने आंबटन आदेश क्रमांक 490–91 दिनांक 30.5.81 को आंबटन किया गया है। जिस आज तक किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। प्रार्थी को विवादित आराजी में कोई हित प्रभावित नहीं है और नाहीं ही वक्त आंबटन आदेश में यह पक्षकार थे इसलिए इनका विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अगर आबंटन आदेश से अप्रार्थी नन्दू या उसके वारिसान प्रभावित होते तो वे आंबटन के खिलाफ चाराजोही करते परन्तु अप्रार्थी 4 के पिता बाबा नन्दूराम या उनके किसी भी वारिसान ने आज तक कोई चाराजोही नहीं की है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि नन्दूराम के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 ने रेफरेन्स खारिज किये जाने की है यानि नन्दूराम के वारिस विवादित आराजी के आंबटन आदेश से सहमत है और उन्हें आंबटन आदेश से कोई आपत्ति नहीं हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग आर.बी.जे.(25)2018 पेज 207, आर.आर.डी.1993 पेज 232, आर.आर. टी. 2016(1)387, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 288, की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रुलिंग / नियमों का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि दस्तोवेज अवलोकन से जाहिर है कि जमाबन्दी सम्वत् 2017 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1208 एवं 1209 नन्दू बल्द भगोली कोम कोली गैर खातेदार साल 10 दर्ज है। तथा इससे पूर्व सम्वत् 2009 में गैर मोरुसी वर्ष 2 दर्ज रहा है। प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर बन्दोवस्त विभाग ने सम्वत् 2037 में खसरा पत्रक के खाना नं 25 में दर्ज नोट के आधार पर गलत रुप से रनधीरसिंह को खातेदार दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में खसरा पत्रक सम्वत् 2037 का अवलोकन किया गया। खसरा पत्रक सम्वत् 2037 के कॉलम नम्बर 23 में (विवादित आराजी पर) यह नोट अंकित है :–

"……रन्धीरसिंह व बलवीरसिंह पिस. गोबिन्दसिंह व हि.बरा. कौम जाट सा. देह खातेदार (कस्टो.) हि. 1बीघा 15 विस्वा –नन्दू पुत्र भगोली कौम कोली सा. देह गैर खातेदार हि. 2बी.7विस्वा ……।"

……6

जिला कलक्टर
भरतपुर

इसी खसरा पत्रक के कॉलम 24 में " रन्धीसिंह पुत्र गोबिन्दसिंह कौम जाट सा. देह खातेदार..... ।" दर्ज है, इसके नीचे "..... मि.न.796 / 07 दि. 26.5.88 खारिज है.... ।" का अंकन हो रहा है।

खसरा पत्रक सम्वत् 2037 के कॉलम नम्बर 25 में यह नोट अंकित है :–

".....मुता. आदेश श्रीमान ए.आर.ओ. दि. 9–8–82 परि सं. 68 के रन्धीरसिंह खातेदार दर्ज किया गया..... ।"

उक्त नोट के नीचे एक नोट और अंकित है जो इस प्रकार है

".....मि.न. 2042 / 87 दि. 11.5.988 अदम पैरवी में खारिज है.... ।"

उक्त अंकित नोट से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी को लेकर रन्धीरसिंह एवं नन्दू के मध्य वाद मि.न.796 / 87 एवं मि.न. 2042 ए.आर.ओ. के न्यायालय में विचारधीन था, उक्त वाद में ए.आर.ओ. द्वारा पारित (उक्त अंकित नोट) निर्णय की पालना में खसरा पत्रक सम्वत् 2037 के कॉलम नम्बर 25 रन्धीरसिंह पुत्र गोबिन्दसिंह कौम जाट सा. देह खातेदार अंकन किया गया है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह कहना कि निष्क्रान्त सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन दिनांक 9.5.79 राजस्थान गजट दिनांक 28.6.79 के द्वारा तहसीलदार अलवर एवं भरतपुर की मैनेजिग आफीसर की पॉवर को शीज कर दिये जाने से अप्रार्थी के हक में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा अगर कोई आंबटन भी किया गया है कि तो वह अवैध इल्लीगल फर्जी विद्आउट ज्यूरीडिक्शन के होने से शुरु से शून्य प्रभावहीन है और इसके आधार पर किये गये इन्द्राज भी शून्य हैं।

इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथित नोटिफिकेशन का अध्ययन किया गया जो इस प्रकार है :–

(Notification N0. 1(3)spl. cell/75ss-II, s.o. dt. 9-5-1979, Pub in Ran. Gasz.5(kh) dt. 28-6-79 p.9, In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section(2) of Section 16 of the Displaced Persons(compensation and Rehabilitation) Act. 1954 (44 of 1954), and in partial modification of the Government of India in the Ministry of Labour. Employment and Reehabilitation (Department of Reehabilitation) office of the Chief Settlement Commissioner,

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

New Delhi notification No. 6(3)/65-L &R dated 23-2-1966. The Central Government hereby directs that the Tehsildars of Alwar and Bharatpur Districts in the state of Rajasthan shall cese to be Managing Officers by the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officers by or under the said Act in relation to the residual work transferred to the Government of Rajasthan.

पत्रावली में उपलब्ध जिला पुनर्वास अधिकारी एवं जिला मैनेजिंग आफीसर भरतपुर के आदेश क्रमांक /1132–35 दिनांक 19.9.80 के अवलोकन से जाहिर है कि नन्दू पुत्र भगोरी साकिन सेवर तहसील भरतपुर को आंबटित जमीन की कीमत आबंटी नन्दू द्वारा जमा नहीं कराये जाने के कारण उसको आंबटित शुदा जमीन का आंबटन निरस्त किया गया है। उक्त नोटिफिकेशन में तहसीलदार अलवर एवं भरतपुर कम मैनेजिग आफिसर की शक्तियॉ सीज की गई हैं ना कि जिला पुनर्वास अधिकारी एवं जिला मैनजिंग आफीसर भरतपुर की।

नन्दू पुत्र भगोरी साकिन सेवर तहसील भरतपुर को आंबटन निरस्त किये जाने के बाद रणधीर सिंह पुत्र गोबिन्द सिंह जाति जाट साकिन सेवर द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1208 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1209 रकवा 12 विस्वा की कीमत जमा करा जाने पर जिला पुनर्वास अधिकारी एवं जिला मैनेजिंग आफीसर भरतपुर के आदेश क्रमांक 490–91 दिनांक 30.5.81 के द्वारा उक्त विवादित आराजी को रणधीरसिंह पुत्र गोबिन्द सिंह जाति जाट साकिन सेवर को आंबटन किया गया है।

इस प्रकार योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रुलिंग विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

उक्त आंबटन आदेश या खसरा पत्रक सम्वत् 2037 अंकन नोट से प्रार्थी राजेन्द्र सिंह पुत्र मूलचन्द किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं है और नाही विवादित आराजी में कोई Locus standi है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अगर ए.आर.ओ के उक्त अंकित नोट आदेश से कोई हितधारी प्रभावित था तो उसे कथित निर्णय आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। परन्तु हमारे समक्ष पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि ए.आर.ओ. के उक्त आदेश के खिलाफ प्रभावित हितधारी नन्दू पुत्र भगोली ने कोई अपील वगे किसी सक्षम न्यायालय में की हो। नन्दूराम फोत हो चुका है उसका एक पुत्र रामस्वरुप भी फोत होना बताते हुये रामस्वरुप के पुत्र को अप्रार्थी सख्या–4 बनाया गया है। नन्दूराम के वारिस अप्रार्थी संख्या–4 अपने जबाब के मद संख्या–3 में लिखा है कि :–

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

".....प्रार्थी राजेन्द्र सिंह आदि उक्त इन्द्राजों से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है उन्हें रेफरेन्स करने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज के है..... ।"

स्व. नन्दूराम के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 के उक्त कथन से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में उनका कोई हित निहित नहीं है और नाही विवादित आराजी पर हो रहे इन्द्राज से उसे कोई हकतलफी है।

प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह पूर्णत निजी प्रकरण है जिसमें राज्यहित अथवा लोकनीती का कोई बिन्दु निहित नहीं है। न्यायिक दृष्टान्तो की लम्बी श्रंखला है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेफरेन्स के प्रावधानों का उपयोग केवल राज्यहित व लोकनीति वाले प्रकरणों में ही किया जाना चाहिये। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी1987 पेज 532, आर.आर.डी1988 पेज 648, आर. आर.डी1993 पेज 378, का अनुसरण करते हुये आर.आर.डी 2010 पेज 466में यह प्रतिपादित किया गया है कि रेफेरेस के प्रावधानों का उपयोग लोकहित अथवा राज्यहित में ही किया जाना चाहिये। व्यक्तिगत व निजी प्रकरणों में रेफेन्स के प्रावधानों का उपयोग नही किया जाना चाहिये।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने RRD 1987 Pag 532
SHRI UDAI PRAKASH MATHUR : MEMBER
State of Raj. V. Murari Lal - (211)
Reference No. 128/ S Madhopur of 87, decided on 30th June, 1987. में प्रतिपादित किया है कि

> Rajasthan Land Revenue Act, Section 82 - Board should entertain reference only in such matters in which public policy or interest of State is adversly affected - Reference on matters in dispute between parties for which they have other remedies should not be entertained. (Para 6)

इसी प्रकार RRD 1988 Pag 648 प्रकरण SHRI A.K. PANDE : MEMBER
STATE V. LALA-(237)
Reference No. 43/Tonk of 83, decided on 11th Aug., 1988. में प्रतिपादित किया है कि

(a) Rajasthan Land Revenue Act, Section 82-Reference of Board is an extraordinary remedy and should be resorted to in cases involving public or State interest as opposed to purely private interests-In making a reference, case should be taken to ensure

---9

जिला कलक्टर
भरतपुर

that it does not become a means of providing an easier softer option to private parties as compared to normal channels of legal remedies- Section 82 is a special provision for undoing highly illegal or irregular decisions and should be allowed to degenerate into an alternative forum for ventilation of grienvance of private parties.(Para 4)

उपरोक्त विवेचानुसार विचाराधीन रेफरेन्स प्रार्थी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर